

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2023 से

अज अदालत

उप खण्ड अधिकारी
बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

मुकार

श्री सुमित्रा कुंवर

वाम

कलाश पिह

किस्म मुकदमा

ग्रा. पत्र 128

49/23

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3-5-23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... कापडिके का रवेडा/-..... की ग्राम..... की आन. 155, 156, कुल - 02 खेडा 1.3700 की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये 1500/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।</p> <p>पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	

